न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 82/2012 (उदयपुर डिक्री)

1. गोपी पिता घीसा जी गाडरी (मृतक) के बजाय :–

1/1. मांगीलाल पिता गोपी जी गाडरी, निवासी डिपी खेड़ा (भगवानपुरा), सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. मोहन पिता गोपी जी गाडरी, निवासी डिपी खेड़ा (भगवानपुरा), सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती लाली बेवा गोपी जी गाडरी, निवासी डिपी खेड़ा (भगवानपुरा), सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. माना पिता घीसा जी गाडरी, निवासी डिपी खेड़ा (भगवानपुरा), सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. कुशाल पिता घीसा जी गाडरी, निवासी डिपी खेड़ा (भगवानपुरा), सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. दल्ला पिता घीसा जी गाडरी (मृतक) के बजाय :–

2/1. हीरालाल पिता दल्ला जी गाडरी, निवासी डिपी खेड़ा (भगवानपुरा), सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. भैरूलाल पिता दल्ला जी गाडरी, निवासी डिपी खेड़ा (भगवानपुरा), सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 23.09.2010, प्र.सं. 183/08

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 25–06–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सनवाड़ में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 6 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है, जिसमें घीसा जी के 4 पुत्र वादी कुशाल व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गोपी, माना व दल्ला हुए। उक्त भूमि पैत्रृक होकर अविभाजित सम्पत्ति है तथा घीसा की सम्पत्ति में उनके सभी पुत्रों का समान हक होने से प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज हैं। अतएवं उक्त भूमियों का विभाजन कराया जाकर वादी को उसके हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त आराजियात पैत्रृक होकर सभी का समान हक व अधिकार है। अतएवं विवादित भूमियों का हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत होने से तनकियात की आवश्यकता नहीं होने से प्रकरण साक्ष्य वादी में रखा गया। इसी दौरान दिनांक 16–02–2009 को प्रतिवादी संख्या 3 यानि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने 1/4 हिस्से का काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने की अनुमति चाही, जो दिनांक 15–06–2009 को दी गयी, परन्तु उनके द्वारा जवाबदावा व काण्उटर क्लेम प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 12–11–2009 को जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम की स्टेज बन्द कर दी गयी।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 यानि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने दिनांक 10–06–2010 हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 23–09–2010 से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का काण्उटर क्लेम स्वीकार कर वादी एवं

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 23–09–2010 में प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के बाद दिनांक 12–11–2007 को अपीलान्ट गोपी व माना द्वारा एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात श्रीराम प्रताप, तोजाराम जी पिता वगतराम जी कोठारी निवासी सनवाड़ से दिनांक 18–03–1960 को से क्रय की, जिससे जमाबन्दी में हमारे नाम अंकित हुई। जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 तक में भी गोपी व माना पिता घीसा दर्ज है, यह जमीन मौरूसी नहीं होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की कय शुदा भूमि हैं। हमें धोखे में रखकर एकतरफा जवाबदावा पेश करवाया गया तथा यह कहा गया कि उनके पिता की भूमियों का बंटवाड़ा किया जाना। मौरूसी जायदाद के बंटवाड़े में हमें कोई ऐतराज नहीं होने से हमारे द्वारा सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर दावा प्रारम्भिक डिक्री किया गया है। अतएवं पुनरावलोकन कर निर्णय पारित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 28–05–2012 से एकबाली जवाबदावा वह सहमति के बयानों के आधार पर वाद प्रारम्भिक डिक्री किये जाने के आधार पर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आवेदन खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23–09–2010 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–07–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गुडफेथ में कथित निर्णय व डिक्री को खारिज कराने के लिए धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो दिनांक 28–05–2012 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण दिनांक 28–05–2012 तक कानूनी कार्यवाही में गुडफेथ में लगे रहे इस कारण अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

→ व्यक्त कारणों एवं प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री डी.सी. मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से उनके कायम मुकाम संस्थित कर रेकार्ड पर लिये गये, जो बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेन्ट के अनुपस्थित रहने से वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के वर्णित तथ्यों को ही वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक में प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना अधिकार के होकर एबइनिश्योवोईड है। विवादित जमीन अपीलान्टगण की व्यक्तिगत होकर उनके द्वारा दिनांक 18–03–1960 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा उसी आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। तब से अपीलान्टगण उक्त भूमि के मालिक काबिज है। अपीलान्टगण को धोखे में रखकर एकतरफा जवाबदावा पेश करवाया गया तथा यह कहा गया कि उनके पिता की भूमियों का ही बंटवाड़ा किया जाना है। मौरूसी जायदाद के बंटवाड़े में हमें कोई ऐतराज नहीं होने से हमारे द्वारा सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर दावा प्रारम्भिक डिक्री किया गया है। रेस्पोन्डेन्टगण को अपीलान्टगण की व्यक्तिगत जमीन का बंटवाड़ा कराने का कोई अधिकार नहीं है। सहमति के आधार पर खातेदारी अधिकारों का सृजन नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रारम्भिक डिक्री के पुनरावलोकन बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्टगण द्वारा जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाबदावा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया है तथा स्वयं अपने बयान देकर विवादित भूमियां मौरूसी होने का कथन किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहमति के आधार पर ही प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है। एक बार सहमति देने के बाद अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्टाप्ड हैं एवं अब वह पुनः नये उजर उठाने के लिए अधिकृत नहीं है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें ए. आई.आर. 1993 सुप्रिमकोर्ट पेज 1139, आर.बी.जे. 2004 हाईकोर्ट पेज 361, ए.आई.आर. 1992 पटना पेज 153, ए.आई.आर. 2008 पटना पेज 128, आर.आर.टी. 2015 (2) सुप्रिमकोर्ट पेज 1390 एवं आर.बी.जे. 2004 हाईकोर्ट पेज 642 प्रस्तुत किये, जो इस प्रकरण में लागू नहीं होती हैं, क्योंकि इनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं। वैसे भी सहमति डिक्री की अपील सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है तथा इस प्रकरण में सहमति के जवाबदावे एवं सहमति के बयानों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, तद्नुसार उक्त नजीरें वर्तमान प्रकरण से सुसंगत नहीं हैं, क्योंकि अपीलान्टगण विधि अनुसार स्टाप्ड हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–09–2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

गोपी पिता घीसा गाडरी मृतक की बजाय मांगीलाल पिता गोपी गाडरी, नि0 डिपो खेड़ा (भगवानपुरा), सनवाड़, तह. मावली, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

कुशाल पिता घीसा जी गाडरी, निवासी डिपो खेड़ा (भगवानपुरा) सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**82 / 2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....23**.....माह.....**09**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**.....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पंकज भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–09–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।